अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(27) ग्रावि/ग्रुप–5 /इं.आ./प्रस्ताव/2015–16 जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए द्वितीय किश्त के प्रस्तावों के साथ बैंक खातों का विवरण एवं बैंक स्टेटमेन्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में दिनांक 11–12 दिसम्बर, 2015 को कॉर्डिनेटिंग ऑफिसर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश प्रदान किये कि इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 के द्वितीय किश्त के प्रस्तावों के साथ योजना से सम्बन्धित सभी बैंक खातों (यथा जिला परिषद/ब्लॉक/पंचायत स्तर) का नवीनतम विवरण पत्र एवं बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रेषित किया जावें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा चाहे गये योजना से सम्बन्धित सभी बैंक खातों का विवरण एवं बैंक स्टेटमेन्ट दिनांक 18.12.2015 तक विशेष वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

15/12/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि